सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **110/2018** दायर दिनाँक **06.04.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सीताराम पुत्र भूराराम, उम्र–67साल, 2. ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय भूराराम, उम्र–57साल, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम**	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. मदनलाल पुत्र स्वर्गीय भूराराम, उम्र–70साल, 3. राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय भूराराम, उम्र–65साल, 4. दीनदयाल पुत्र स्वर्गीय भूराराम, उम्र–50साल, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–कीचक, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा रास्ता, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. वादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **01.06.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद मौजा कीचक में वादीगण का खेत खसरा नम्बर 108 रकबा 02.16 बीघा, खेत खसरा नम्बर 120 रकबा 09.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 121 रकबा 01.08 बीघा, खेत खसरा नम्बर 124 रकबा 08.11 बीघा, खेत खसरा नम्बर 128 रकबा 01.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 131 रकबा 17.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 132 रकबा 04.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 225 रकबा 0.11 बीघा, खेत खसरा नम्बर 262 रकबा 06.11 बीघा, कुल रकबा 53.02 बीघा अवस्थित है। नकल वर्तमान खतौनी की पेश है।

प्रार्थना वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 है कि,

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 110/2018
दायर दिनाँक 06.04.2018, निर्णय दिनाँक 01.06.2018
सीताराम, वगैरा बनाम् तहसीलदार, वगैरा।

शरहद कीचक में स्थित वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 तथा अन्यों के खैतायों में आने–जाने का रास्ता नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'' में दर्शित मार्क ए बी सी जी एफ को रास्ता की भूमि घोषित की जाकर तथा इसकी एवज में नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'' में दर्शित मार्क ए सी एफ कटाण रास्ता (खसरा नम्बर 127) व मार्क एक्स वाई जेड (रास्ता खसरा नम्बर 109) को रास्ता की जगह वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 तक की खातेदारी की भूमि घोषित की जावे।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के तथा विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के घोषित की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। सम्बन्धित पटवार हल्का छापरीकलाँ की रिपोर्ट दिनाँक 15.05.2018 में अपने हस्ताक्षर दर्ज कर अपनी सहमति जाहिर की है।

वादीगण ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'', जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 ग्राम कीचक खेवट संख्या 118/96 की प्रमाणित प्रतिलिपि, फर्द मौका दिनाँक 05.04.2018 व नक्शा ट्रेश, पेश किया है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**सुद्रासन** में वाद पेश हुआ। वादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान् वाद के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'' में दर्शित रास्ता मार्क ए बी सी जी ई एफ को रास्ता की भूमि घोषित किया जाने का निवेदन कर रहे हैं तथा हल्का पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक इस पर सम्बन्धित पक्षकारान् सहमत हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तत्सम्बनधी विधि का अध्ययन् किया।

मजमें आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। मजमें आम में प्राप्त जानकारी मुताबिक, वाद वादी, दावानुसार डिक्री किया जाकर, नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'' में दर्शित मार्क ए बी सी जी ई एफ को रास्ता की भूमि घोषित किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 110/2018
दायर दिनाँक 06.04.2018, निर्णय दिनाँक 01.06.2018
सीताराम, वगैरा बनाम् तहसीलदार, वगैरा।

–:: **आदेश** ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, फर्द मौका दिनाँक 15.05.2018 में वर्णित मुताबिक, शरहद मौजा कीचक में वादवर्णित खसरा नम्बरान् 108, 120, 121, 131, 128, 130 व 129 में से रास्ते में गयी भूमि को, वाद संलग्न नजरीनक्शा अनुसूची "ए" में दर्शित मार्क ए बी सी जी ई एफ को कटाणी रास्ता की भूमि घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नवसर्जित रास्ता की भूमि पर ही सड़क निर्माण किया जाना उचित होगा जिससे कि, किसानों की फसलों को नुकशान न हो। वर्तमान में घोषित रास्ता ही, चालू रास्ता है। पूर्व रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा मौके पर चालू नहीं है। पक्षकारान् द्वारा वर्तमान में घोषित रास्ते पर ही, आवागमन किया जा रहा है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सुद्रासन

निर्णय, आज दिनाँक **01.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सुद्रासन

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सुद्रासन

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः–110–2018/रीडर/2018/ दिनाँक 01.06.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा रास्ता, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. सीताराम पुत्र भूराराम, उम्र–67साल, 2. ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय भूराराम, उम्र–57साल, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. मदनलाल पुत्र स्वर्गीय भूराराम, उम्र–70साल, 3. राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय भूराराम, उम्र–65साल, 4. दीनदयाल पुत्र स्वर्गीय भूराराम, उम्र–50साल, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–कीचक, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सुद्रासन

Scanned by CamScanner